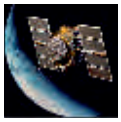

अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन

लेखापरीक्षा उद्देश्य 6 : क्या वित्तीय प्रबंधन एनआरएससी को अपनी अधिदेशित गतिविधियों को पूरा करने में प्रभावी रूप से मददगार था, का आंकलन करना।

8.1 अच्छा वित्तीय प्रबंधन वित्तीय संसाधनों का कुशलता उपयोग, सार्वजनिक निधियों के अवरोध को रोकता और योजना के रूप में गतिविधियों के क्रियान्वयन को बढ़ावा देता है। एनआरएससी की आवश्यकताओं का निर्धारण किए बिना अनुदान जारी करने के बाद एनआरएससी के साथ सार्वजनिक निधियों का अवरूद्धन, विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट एवं वास्तविक में विस्तृत विभिन्नता के दृष्टिकोण में अपर्याप्त योजना प्रक्रिया इत्यादि को देखा गया जिसकी चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफों में की गई है।

8.2 एनआरएससी के वर्ष 2003–04 से 2007–2008 के कार्य के परीणामों को **सारणी 9** में दिया गया है :

सारणी 9
वर्ष 2003-08[52] के दौरान एनआरएससी के कार्य परिणाम

(राशि: करोड़ ₹ में)

सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	सेवाओं से आय	57.94	65.20	66.89	76.33	76.72
2	ब्याज से आय	1.82	11.65	7.75	30.50	29.71
3	अन्य आय	4.36	6.30	12.27	5.87	4.11
4	**कुल आय**	**64.12**	**83.15**	**86.91**	**112.70**	**110.54**
5	कार्मिक एवं सामान्य व्यय	35.88	39.23	47.30	49.74	50.27
6	प्रचालन व्यय	33.80	34.25	31.81	39.05	24.23
7	अन्य व्यय	6.10	1.15	2.13	4.24	46.34
8	**कुल व्यय (5 से 8)**	**75.78**	**74.63**	**81.24**	**93.03**	**120.84**
9	**अधिशेष /घाटा (-)**	**-11.66**	**8.52**	**5.67**	**19.67**	**-10.30**

सारणी 9 से यह देखा जा सकता है कि:

- सेवाओं से होने वाली आय जो मुख्यतः डाटा उत्पादों की बिक्री से संबंधित है, 2003–04 में ₹ 57.94 करोड़ से 2007–08 में ₹ 76.72 करोड तक बढ़ गई, जो केवल 7.27 प्रतिशत की वार्षिक विकास दर को दर्शाता है। अक्टूबर 2003 से मार्च 2008 के दौरान तीन नये उपग्रहों के प्रक्षेपण के बावजूद केवल 7.27 प्रतिशत वृद्धि को प्राप्त किया गया था। इसके विरूद्ध, 2003–04 में एनआरएससी का व्यय ₹ 75.78 करोड़ से बढ़कर 2007–08 में ₹ 120.84 करोड़ हो गया जो 12.37 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर को दर्शाता है।

- 2003–08 के दौरान ब्याज से आय ₹ 81.43 करोड़ होने के बावजूद भी एनआरएससी केवल ₹ 11.90 करोड़ के समस्त अधिशेष को प्राप्त कर सका। कुल आय में ब्याज आय का योगदान केवल 17.81 प्रतिशत था।

- 2007–08 में कार्य परिणाम खराब हो गए और ₹ 10.30 करोड़ का घाटा दर्शाया, जबकि पिछले वर्ष की तुलना में व्यय में 29.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[52] एनआरएससी 1 सितंबर 2008 से सरकारी संस्थान बनने के कारण वर्ष 2007–08 तक के आंकडों को विचार में लिया गया है।

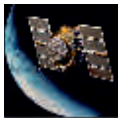

अधिक अनुदान को जारी करना

8.3 जीएफआर 2005 के नियम 208 और 209 के अनुसार यदि एक संस्थान को वित्तीय सहायता प्रस्तावित की जाती है तो इस प्रकार की अनुदान के रुप में दी जाने वाली सहायता की साध्यता को मंजूरी देने वाले सक्षम प्राधिकरी द्वारा वित्त मंत्रालय से परामर्श लेने के पश्चात विशेष रुप से विचार कर दिया जाना चाहिए। वित्तीय विवेक एवं मित्तोपयोग सहित व्यय प्रबंधन पर सितंबर 2004 में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे। मार्गदर्शी सिद्धांत ऐसे मामलों का ध्यान आकर्षित करते हैं जहां निकायों के पास पर्याप्त अनुप्रयोग शेष बैंक में जमा के रूप उपलब्ध था। मंत्रालयों को ऐसे मामलों में अनुदान जारी न करने की सलाह दी गई थी।

2003–08 के दौरान एनआरएससी के नकद प्रवाह विवरण सारणी 10 में दिया गया है।

सारणी 10
2003-08 के दौरान एनआरएससी का नकदी प्रवाह विवरण

(राशि: करोड़ ₹ में)

सं.	विवरण	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	आदि नकद/बैंक शेष	90.04	98.77	163.86	225.72	372.26
2	अनुदानों से नकद प्रवाह (सर्वसामान्य उद्देश्य)	9.00	14.00	14.00	20.00	10.54
3	डीओएस की विशेष परियोजना अनुदानों से नकद प्रवाह	23.23	25.14	29.29	36.87	13.25
4	डीओएस की विशेष परियोजनाओं हेतु अग्रिमों से नकद प्रवाह	1.78	35.57	31.53	87.98	5.38
5	परिचालन से अधिशेष	0	8.52	5.67	19.67	0
6	**कुल नकद प्रवाह (1 से 5)**	**124.05**	**182.00**	**244.35**	**390.24**	**401.43**
7	परिसंपत्तियों के लिए नकद बहिप्रवाह	13.62	18.14	18.63	17.98	17.20
8	परिचालन में घाटे से नकदी बहिप्रवाह	11.66	0	0	0	10.30
9	कुल नकद बहि प्रवाह (7 से 8)	**25.28**	**18.14**	**18.63**	**17.98**	**27.50**
10	समाप्ति पर अंतिम नकद और बैक शेष राशि	**98.77**	**163.86**	**225.72**	**372.26**	**373.93**

ऊपरी सारणी से यह स्पष्ट होता है कि एनआरएससी के पास 2003–04 के शुरू में राशि ₹ 90.04 करोड़ का अधिशेष था, जो अव्यतित शेष संचय के कारण 2007–08 के अंत में ₹ 373.93 करोड़ तक बढ़ गई थी। एनआरएससी ने 2003 –08 के दौरान कुल ₹ 11.90 करोड़ का अधिशेष प्राप्त किया जिसके विरूद्ध ₹ 67.54[53] करोड़ की सामान्य उद्देश्य अनुदान प्राप्त किया था। इन अव्यतित शेषों को वापिस करने के स्थान पर एनआरएससी ने इस बढ़ी हुई शेष राशि को बैक में जमा किया और ₹ 81.43 करोड़ का ब्याज अर्जित किया।

एनआरएससी ने नवंबर 2008 में यह जवाब दिया कि सेवाओं से प्राप्त आय विविध परिचालन स्थितियों में देश में प्रचलित जलावयु और वित्तीय परीस्थितियों पर निर्भर थी और जिसमें विस्तृत तौर पर परिवर्तन स्वाभाविक था, निरंतर आधार पर सहायता अनुदान महत्वपूर्ण था और उचित व न्यायसंगत हो गया। जवाब को जीएफआरएस में निहित पूर्वोक्त प्रावधानों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए।

[53] वर्ष 2003–04 से 2007–08 के दौरान ₹ 9 करोड़, ₹ 14 करोड़, ₹ 14 करोड़, ₹ 20 करोड़ तथा ₹ 10.54 करोड के अनुदान जारी किए गए।

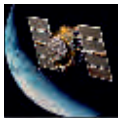

डीओएस ने बिना कोई विवरण प्रस्तुत किए ही यह जवाब दिया कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अधिशेष के प्रमुख भाग में परियोजना के लिए उपभोक्ताओं द्वारा दिए गए अग्रिम भुगतान शामिल थे। तथ्य यह है कि ₹ 75.14 करोड़ (46 परियोजनाओं में) शेष राशियों के गैर उपयोग के कारण अवरूद्ध रहें।

वित्तीय नियोजन एवं बजट नियंत्रण

8.4 2003–04 से 2008–09 हेतु एनआरएससी के बजट अनुमानों एवं वास्तविक आंकड़ें खातों के प्रमुख मदों में बदलावों के साथ परिशिष्ट–7 में दिए गए हैं। इससे देखा जा सकता है कि:

- एनआरएससी ने अपना अधिकतम राजस्व अपनी सेवाओं जैसे डाटा उत्पादों से बिक्री तथा उसके एरीयल और उपग्रह अनुप्रयोग परियोजनाओं के उपरिव्यय से अर्जित किया है। एनआरएससी द्वारा अर्जित राजस्व वर्ष 2003–09 के दौरान इसके अनुमानों के विरूद्ध (+)17 प्रतिशत से (–).29.84 प्रतिशत के बीच परिवर्तित हुआ जो इसके संसाधनों की योजना में कमियों को दर्शाते हैं;
- एनआरएससी केंद्र के व्यय में वर्ष 2003–09 के दौरान इसके अनुमानों के विरूद्ध (+) 20 प्रतिशत और (–) 30 प्रतिशत का परिवर्तन था जो इसकी गतिविधियों की योजना एवं निगरानी में कमियों को दर्शाता है;
- एनआरएससी द्वारा किया जाने वाला परिवर्तनीय व्यय, वर्ष 2003–09 के दौरान इसके अनुमानों के विरूद्ध (–) 42 प्रतिशत से (+) 58 प्रतिशत के बीच में बदलता रहा जो इसकी योजना और व्यय नियंत्रण में कमियों को दर्शाता है;
- यह परिवर्तन एनआरएससी द्वारा निष्पादित कार्यक्रमों/परियोजनाओं की समाप्ती में होने वाली देरी और एनएनआरएमएस परियोजनाओं के अन्तर्गत धीमी प्रगति/निधियों का उपयोग न होने के कारण था जैसाकि इस रिपोर्ट के अध्याय–6 में ब्यौरा दिया गया है:–

ये महत्वपूर्ण विभिन्नताएं राजस्व के बजट एवं व्यय नियंत्रणों में कमियों की ओर संकेत करते थे।

एनआरएससी ने नवंबर 2008 में और डीओएस ने जुलाई 2009 में यह जवाब दिया कि जबकि वित्तीय योजना संबंधित वित्तीय वर्ष में की गई थी परन्तुभकार्यान्वयन अवरोध कारणों की वजह से कार्य अगले साल तक चले गए थे। इस प्रकार के मामलों में नियोजित व्यय को संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नही किया गया था। यह भी कहा गया कि, आय में हुए परिवर्तन का कारण भी परिचालन बाधाएं थी। एनआरएससी का उत्तर इस तथ्या की ओर इशारा करता है कि, एनआरएससी/डीओएस को परिचालन गतिविधियों पर नियत्रंण बेहतर निगरानी व नियंत्रण आवश्यकता है ताकि इन परियोजनाओं को योजित लक्ष्यों के अनुसार पूरा किया जा सकें।

एसीएल को आढ़त/प्रभार

8.5 एनआरएससी ने विदेशी ग्राहकों को सुदूर संवदेन उपग्रह डाटा एसीएल के जरिए बेचा था। एनआरएससी और एसीएल के बीच निर्धारित करते हुए कोई एमओयू या अनुबंध नहीं था जिसमें निम्न विशिष्ट उत्तरदायित्व हैं।

(i) निगरानी, बिल तैयार करना व देय राशि इकट्ठा करना;

(ii) इन अनुबंधों के विषय में किये गए खर्चों और राजस्वों को लेखा और एनआरएससी को भुगतान किये जाने वाले वास्तविक राजस्वों की गणना करना;

(iii) उचित विपणन सेवा प्रदान करना ।

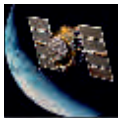

एनआरएससी के मूल्य उप–समिति ने एनआरएससी और एसीएल के बीच विदेशी ग्राहकों को आईआरएस डाटा की बिक्री के राजस्व हिस्से को 50:50 की औसत से (जनवरी 2008) तय किया था।

हमने यह पाया कि जबकि इसमें ₹ 1 करोड़ से ज्यादा के वित्तीय निहतार्थ थी फिर भी इस के लिए अतंरिक्ष आयोग के सदस्य (वित्तीय) का कोई अनुमोदन नहीं था जो कि ऐसे मामले में आवश्यक था जहां लेन–देन का मूल्य ₹ 1 करोड़ से अधिक था। हमने यह भी पाया कि एनआरएससी ने अपनी सभी अंतराष्ट्रीय बिक्रियों का राजस्व घरेलू दरों पर ही अर्जित किया था।

हमने आगे यह देखा कि एनआरएससी की आंतरिक टिप्पणी के अनुसार, (जनवरी 2008) एनआरएससी और एसीएल के बीच विदेशी ग्राहकों को आईआरएस डाटा सप्लाई करने के राजस्व हिस्सेदारी 35 प्रतिशत पर तय की गई थी और बचा हुआ 15 प्रतिशत पुर्न–विक्रेताओं के कमिशन के रूप में तय किया था। इसी प्रकार की सेवाओं[54] के लिए, डीओएस एसीएल को 15 से 20 प्रतिशत एजेन्सी कमीशन का भुगतान कर रहा था। इस प्रकार, एनआरएससी ने 15 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त कमीशन एसीएल को दे रहा था और परिणामस्वरूप वर्ष 2004–05 से 2007–08 के दौरान एनआरएससी के राजस्व में ₹ 1.44 करोड[55] और ₹ 1.92 करोड[56] की कटौती हुई थी।

हमारी टिप्पणियों को ध्यान में लेते हुए डीओएस ने जुलाई 2009 में यह जवाब दिया कि राजस्व हिस्सेदारी तंत्र पर एनआरएससी एसीएल के साथ एमओयू पर दर्ज करेगा। डीओएस ने एसीएल को दी गई कमीशन की उच्च प्रतिशत को न्यायोचित बताते हुए कहा कि आईआरएस एक उपग्रहों के सुदूर संवेदन डाटा उत्पादों को बेचने के लिए आवश्यक प्रयास ट्रांसपोटर्स के लीज हेतु किए गए आवश्यक प्रयासों की तुलना में ज्यादा थे।

डीओएस का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एसीएल ने अपने पुर्नविक्रेताओं (मेसर्स स्पेस इमर्जरी) के जरिए 15 प्रतिशत उप एजेंट कमिशन भुगतान द्वारा अंतराष्ट्रीय ग्राहकों को उपग्रह डेटा उत्पादों को बेचा है। इसलिए, 35 प्रतिशत कमीशन पाने के लिए एसीएल द्वारा कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं किया गया था।

एसीएल द्वारा राजस्व के प्रेषण में देरी

8.6 प्राप्ती और भुगतान नियमों (नियम 6), के अनुसार सरकारी प्राप्तियों का भुगतान सरकारी लेखों में सम्मिलित करने हेतु पूर्ण रूप से होना चाहिए। इन प्रावधानों के विपरीत हमने यह पाया कि एसीएल को एकत्र राजस्व में से कमीशन शुल्क काट कर एनआरएससी को रूपया भेजने की अनुमति दी गई थी। कमीशन शुल्क के भुगतान को भी एनआरएससी के बजट में सम्मिलित नहीं किया गया था और इसके परिणामस्वरूप एनआरएससी की प्राप्ती में प्रकटीकरण में उनके द्वारा एसीएल को कमीशन की राशि का भुगतान करने में समय की पारदर्शिता का अभाव रहा।

हमने आगे यह देखा कि यद्यपि डाटा की आपूर्ति 2004–05 से करने के बावजूद, एसीएल को एजेंसी कमीशन का भुगतान जनवरी 2008 में देरी से तय किया गया था। एनआरएससी ने न तो एसीएल द्वारा विदेशी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने हेतु किसी भी प्रकार का बीजक तैयार किया और न ही जनवरी 2008 तक एनआरएससी के लेखों में राजस्व प्राप्ति को विविधदेनदार के रूप में बताया।

[54] इनसैट दो खंडों से राजस्व उत्पन्न करता था: (i) टेलीविजन परिचालन के लिए ट्रांसपोटर्स को किराए पर देना और (ii) वीएसएटी परिचालन के लिए ट्रांसपोटर्स को किराए पर देना।

[55] ₹ 9.62 करोड़ का 15 प्रतिशत

[56] ₹ 9.62 करोड़ का 20 प्रतिशत

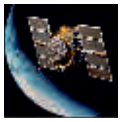

2004–05 से 2007–08 के लिए एसीएल द्वारा देय रकम ₹ 4.81 करोड़ के विरूद्ध मार्च 2008 में ₹ 2 करोड़ का भुगतान किया गया था और अगस्त 2008 तक ₹ 2.81 करोड़ की राशि प्राप्त होनी बाकी थी। इसके परिणामरूवरूप, राजस्व हिस्से के निर्णय में हुई असामान्य देरी से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एनआरएससी को ₹ 48.40 लाख के ब्याज की हानि हुई थी।

डीओएस ने कहा कि जुलाई 2009 तक ₹ 93 लाख की देय राशि एसीएल से बकाया थी और बकाया राशि को वसूलने के प्रयास किए जा रहे थे।

उपग्रह डाटा की बिक्री से देय

8.7 एनआरएससी डाटा केंद्र (एनडीसी) के भुगतान की शर्तों में आवश्यक था कि 100 प्रतिशत अग्रिम भुगतान प्राप्ति पर ही उपग्रह डाटा उत्पादों का प्रसार होना चाहिए। फिर भी, हमने यह देखा कि एनआरएससी सरकारी और निजी उपभोक्ताओं दोनों को उधार पर डाटा उत्पादों की बिक्री कर रहा था। एनआरएससी ने बकाया देयता की वर्षवार सूचना नहीं दी थी और किस तिथि से वह देय राशि बकाया थी।

मार्च 2008 (जुलाई 2008 में) तक उपभोक्ता के विभिन्न वर्गों के डाटा उत्पादों की बिक्री पर बकाया प्राप्त राशि की उपलब्ध स्थिति का विवरण सारणी 11 में दी गई है:

सारणी 11
उपग्रह डाटा उत्पादों की बिक्री से बकाया राशि

(राशि: करोड़ ₹ में)

सं.	उपभोक्ता	सं.	राशि
1	अंतरिक्ष विभाग और उसकी इकाईयां	36	3.81
2	अन्य शासकीय उपभोक्ता जिसमें अनुसंधान संस्था महाविद्यालय और विद्यापीठ जैसे शैक्षणिक केंद्र का समावेश हैं	54	0.20
3	निजी उपभोक्ता	48	2.60
4	पता नहीं	7	0.43
	कुल	**145**	**7.04**

उपरोक्त सारणी से, देखा जा सकता है कि डाटा उत्पादों की बिक्री के 14.68 प्रतिशत[57], (₹ 7.04 करोड़) की देय राशि बकाया थी, इस संबंध में हमने यह देखा कि:

- 120 ग्राहको से ₹ 3.72 करोड़ जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, इकट्ठा/प्राप्त करने थे।
- वर्ष 2007–08 के दौरान तीन ग्राहकों[58] को ₹ 64.14 लाख के डाटा उत्पादों की आपूर्ति की गई थी जबकि उनके पास ₹ 81.23 लाख का बकाया पहले से ही था।
- आठ उपभोक्ताओं से ₹ 45.56 लाख का बकाया था जिसका विवरण एनआरएससी के पास उपलब्ध नहीं था जिसके कारण वसूली लगभग असंभव थी। यह कमजोर आंतरिक नियंत्रण को दर्शाता था।

[57] ₹ 7.04/47.95 करोड़

[58] एसीएल, अन्ना विश्वविद्यालय, उत्तरी अमेरिका की स्पेस इमेजिंग।

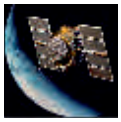

इस प्रकार, डाटा उत्पादों की बिक्री के लिए उधार बिक्री की अनुमति न देने की मूल पात्रता के पालन न करने के परिणामस्वरूप परिहार्य बकाया देय थे।

एनआरएससी ने सितंबर 2008 में यह जवाब दिया कि अपवादात्मक महत्व की राष्ट्रीय परियोजनाओं और आपदा से संबंधित डाटा की आवश्यकता को निधियों के भरपाई की शर्त के साथ उधार बिक्री का प्रयोग किया गया था। इस जवाब को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सरकारी उपभोक्ता से बकाया के अलावा, 48 निजी उपभोक्ताओं से भी ₹ 2.60 करोड़ भी बकाया था।

डीओएस ने जनवरी 2010 में यह जवाब दिया कि उपग्रह डाटा बकाया देया ₹ 3.93 करोड़ तक घटा था (नवंबर 2009 तक की स्थिति) और बकाया देयों को वसूलने के प्रयास किए जा रहे थे। डीओएस द्वारा बकाया देयों की वसूली के लिए किए गए सकारात्मक प्रयासों को भविष्य में उच्च वसूली स्तर सुनिश्चित करने के लिए बनाए रखने की आवश्यकता है।

कार्य केंद्र के अग्रिमों का समायोजन

8.8 एनआरएससी ने अनुप्रयोग परियोजना के कुछ विशिष्ट कार्यों को क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केंद्रों, राज्य सुदूर संवेदन केंद्रों से करवाया, जिसके लिए इन एजेंसियों को अग्रिम भुगतान किए गए थे। इन अग्रिम भुगतानों को परियोजना निदेशक द्वारा कार्य के पूर्ण होने तथा निधि उपयोगिता प्रमाणपत्र के प्राप्त होने पर समायाजन किया जाना था। इस विषय में हमने निम्नलिखित पायाः

उपभोक्ता परियोजनाएं : हमने यह देखा कि आठ उपभोक्ता परियोजनाओं में (83 दृष्टांतों में) ₹ 4.17 करोड़ की कुल राशि बकाया थी और मार्च 2008 तक समायोजन के लिए बकाया थी। इसमें से ₹ 1.79 करोड़ पिछले चार वर्षों से अधिक से बकाया थी, सबसे पुरानी 1999 की थी। ₹ 3.83 करोड़ बकाया अग्रिम छः पूर्ण हुए परियोजनाओं से संबंध रखती है। एक मामले में (राजीव गांधी राष्ट्रीय पेय जल मिशन) किसको अग्रिम के रूप में 1999–2000 में ₹ 1.12 लाख दिया गया था, उसका विवरण दस्तावेजों में दर्ज नहीं था।

सरकारी परियोजनाएं : 29 सरकारी परियोजनाओं के 140 मामलों में ₹ 13.63 करोड़ की अग्रिम राशि समायोजन के लिए बकाया थी, इसमें से ₹ 51.48 लाख 5 साल से अधिक समय से बकाया थे और सबसे पुराने मामले 1992 से संबंधित हैं। ₹ 50.48 लाख की अग्रिम बकाया पुर्ण हुई 11 परियोजनाओं से संबंधित थी।

जबकि बाद में ₹ 10.71 करोड़ के समायोजन को बताते हुए डीओएस ने जुलाई 2009 में यह कहा कि संभाव्य कम समय में बकाया समायोजन हेतु कार्यवाही की जा रही थी।

आंतरिक नियंत्रण व आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता

8.9 आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखा परीक्षा अच्छे शासन के लिए आवश्यक साधन हैं और जिनका उपयोग उच्च प्रबंधन द्वारा लेखों में वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों में जारी किए गए नियमों और विनियमों तथा प्रणाली एवं प्रक्रिया निर्देशों की अनुपालनों को सुनिश्चित मालुम करने हेतु सहायक के रूप में किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न तकनीकी एवं परिचालन पैरामीटरों के लिए लक्ष्य/मानक नियत किए गए हैं और यह भी देखना कि धन के उत्तम मूल्य हेतु ऐसे लक्ष्यों को समयसीमा के भीतर ही प्राप्त करना है। इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा विभिन्न कार्यक्रमों/ गतिविधियों/योजनाओं और परियोजनाओं के मितव्ययी, दक्ष एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती है।

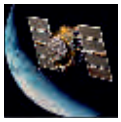

नियमित और प्रभावी आंतरिक नियंत्रण की अनुपस्थिती, इस निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान रिकार्डों के परीक्षण से जाहिर हुए थे, जहां हमने यह पाया कि मूलभूत नियंत्रण मामलों को संबोधित नहीं किया गया था।

मुद्दे जिनका विवरण नीचे दिया है, संकेत करता है कि आंतरिक नियंत्रण एनआरएससी की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था और इसे सशक्त करने की आवश्यकता थी।

- परियोजनाओं के भुगतान की शर्तों में छूट,
- उपभोक्ताओं से इकट्ठा किए जाने वाले बकाया देय, बिना एमओयू के परियोजनाओं को लेना,
- लागत नीति का पालन नहीं किया जाना,
- एनएनआरएमएस परियोजनाओं के अंतर्गत अप्रयुक्त निधियां और धीमी प्रगति,
- एनआरएससी की कार्यक्रमों/गतिविधियों के अयार्थथवादी बजट और अपर्याप्त बजट नियंत्रण,
- एसीएल के माध्यम से अंतराष्ट्रीय ग्राहकों को डाटा उत्पादों की बिक्री का खातों से बाहर रहना।
- डाटा उत्पादों की बिक्री के लिए भुगतान की शर्तों में छूट,

एनआरएससी की आंतरिक लेखापरीक्षा, डीओएस के आंतरिक लेखापरीक्षा खंड द्वारा की जानी थी। हमने यह देखा कि वर्ष 2007–08 और 2008–09 की आंतरिक लेखापरीक्षा दिसंबर 2009 तक होना बाकी था। हमने आगे यह देखा कि आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र की प्रमुखता स्थापना मामलों तक सीमीत थी और उचित परिचालन मुद्दों को शामिल कर इसे सशक्त करने की आवश्यकता थी जबकि आंतरिक लेखापरीक्षा के अंतराल में सुधार करने थे।

निष्कर्ष

सरकारी परियोजनाओं के तहत एनआरएससी के पास पर्याप्त अप्रयुक्त शेष उपलब्ध थे, इसके बावजूद डीओएस से और अन्य सरकारी उपभोक्ताओं से विशेष परियोजनाओं के लिए लगातार अग्रिम लागत प्राप्त कर रहा था। एनआरएससी का बजट यर्थाथवादी नहीं था जो आय एवं व्यय पर नियंत्रण की कमी और परियोजनाओं की निगरानी पर कमी को दर्शाता है। उपग्रह डाटा की बिक्री में एसीएल को देय एजेंसी कमीशन के निर्धारण में देरी/अनियमित निर्धारण के कारण ब्याज में हानि/राजस्व में कमी हुई थी। आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा एनआरएससी की आवश्यकता के अनुरूप नहीं थी व इसको सुदृढ़ करने की आवश्यकता थी।

हमारी अनुशंसाएं	अनुशंसाओं पर एनआरएससी द्वारा प्रस्तावित कार्यवाही
11. ज्यादा यथार्थवादी बजटिंग और नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, वित्त प्रबंधन प्रक्रिया की दक्षता में सुधार होना चाहिए जिससे सार्वजनिक निधि की अवरूद्धता को टाला जा सके।	*एनआरएससी ने फरवरी 2010 में अनुशंसा को अनुपालन हेतु मान लिया।*
12. एनआरएससी को एसीएल को दिए जाने वाले कमीशन को सरल व कारगर बनाना, उधार बिक्री को टालना और प्राप्ति वसूली प्रणाली को कारगर करना चाहिए।	*एनआरएससी ने फरवरी 2010 में कहा कि वह एसीएल के साथ एमओयू प्रवेश करने की तैयारी में है।*
13. अपने कार्य केंद्रों को दिए गए बकाया अग्रिम राशियों के समायोजन के लिए एनआरएससी द्वारा ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।	*एनआरएससी यह सुनिश्चित करने हेतु सहमत हुआ कि एमओयू सहित वित्तीय नियमों की सभी शर्तों का पालन किया जाएगा।*

राज जी विश्वानाथन

नई दिल्ली
दिनांक : 1 दिसम्बर, 2010

(राज जी. विश्वानाथन)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा,
वैज्ञानिक विभाग

प्रतिहस्ताक्षरित

विनोद राय

नई दिल्ली
दिनांक : 1 दिसम्बर, 2010

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक